[2020] 9 एस.सी.आर. 517

सत्यमा दुबे और अन्य

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(रिट याचिका **(**आपराधिक**)** संख्या **296**/2020**)**

27 अक्टूबर, 2020

[मुख्य न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्तिए.एस. बोपन्ना और

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम]

*भारत का संविधान***:**

अनुच्छेद 32 - रिट याचिका - उत्तर प्रदेश राज्य में क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग - याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पीड़ित का दाह संस्कार अवैध था - राज्य ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य द्वारा जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई थी - अभिनिर्धारित : सर्वोच्च न्यायालय को कार्यवाही/जाँच की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष जाँच के पहलुओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया है - इसलिए, सभी पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है - हालांकि राज्य पुलिस द्वारा पीड़ित के परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, हालांकि, मामले के तथ्यों में, सीआरपीएफ को पीड़ित के परिवार और गवाहों की सुरक्षा संभालने का निर्देश दिया गया है - विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा - यह मुद्दा कि क्या मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित की जानी है, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विचार करने के लिए खुला रखा गया है।

दंड संहिता, 1860:

धारा 228 क - बलात्कार पीड़ित के परिवार के सदस्यों के नाम और संबंधों का प्रकटीकरण - न्यायिक आदेश में - आयोजितः कानून के खिलाफ है।

रिट याचिकाओं और हस्तक्षेप आवेदनों का निपटान, न्यायालय

अभिनिर्धारित: **1.1** निर्विवाद तथ्य यह है कि जांच वास्तव में राज्य सरकार द्वारा ही **10.10.2020** को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने **11.10.2020** को अपराध के संबंध में जांच शुरू कर दी है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं कि यदि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा किया तो कोई उचित जांच नहीं होगी, इस स्तर पर विचार के लिए खुली नहीं रहेगी और उस हद तक की शिकायत का निवारण किया गया है। **[अनुच्छेद 10]**

1.2 जनहित याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले से संबंधित पहलुओं पर पर्याप्त रूप से गौर किया है और पीड़ित के पिता, मां, भाई और साली की उपस्थिति भी सुनिश्चित की है और विभिन्न पक्षों से रिपोर्ट हासिल करने सहित उचित आदेश पारित किए जा रहे हैं। उस परिस्थिति में, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय को कार्यवाही से अलग किया जाए और इस न्यायालय को कार्यवाही/जांच की निगरानी करने के लिए लिया जाए। इसके अलावा, घटना उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर हुई है और सभी विवरण उपलब्ध होने के कारण, उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह जिस तरह से चाहे, जांच की निगरानी के लिए आगे बढ़े। उस दृष्टिकोण से, रिट याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के लिए यह खुला होगा कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करें, बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के अनुरोध पर विचार किया जाए और यदि वह इस संबंध में याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा आग्रह की जाने वाली दलीलों पर विचार करने की आवश्यकता पाता है। **[अनुच्छेद 10]**

1.3 इसलिए, प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मामले के सभी पहलुओं को उस घटना से संबंधित जनहित याचिका (सी) संख्या **16150/2020** में उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जिसके बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी है और अवैध दाह संस्कार का आरोप लगाने वाली शिकायत के संबंध में भी। केंद्रीय जांच ब्यूरो समय-समय पर अपने आदेशों के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से उच्च न्यायालय को रिपोर्ट करेगी। **[अनुच्छेद 13 और 14]**

2.1 जहाँ तक पीड़ित के परिवार और गवाहों को सुरक्षा का सवाल है, हलफनामा, जैसा कि दायर किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। हालांकि, वर्तमान प्रकृति के मामले में, राज्य पुलिस के सुरक्षाकर्मियों पर कोई आक्षेप लगाए बिना; सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए और केवल विश्वास निर्माण के उपाय के रूप में, यह निर्देश देना उचित होगा कि पीड़ित के परिवार और गवाहों को सुरक्षा सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की जाएगी। **[अनुच्छेद 11 और 12]**

2.2. रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **296/2020** में प्रतिवादी संख्या **2** (मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य) इस आदेश को तुरंत सीआरपीएफ के सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लाएगा और पीड़ित परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करेगा। सीआरपीएफ इसे प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी और इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को देगी। **[अनुच्छेद 14]**

3. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। जिस परिस्थिति में पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने अपने निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का विकल्प चुना है, वे इन पहलुओं पर विचार करेंगे और यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो कानून के अनुसार पीड़ित की ओर से अनुरोध करेंगे। [अनुच्छेद 13]

4. जहां तक मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने का सवाल है, जांच एजेंसी के लिए जांच पूरी करना उचित होगा और किसी भी स्थिति में चूंकि स्थानीय पुलिस को जांच से हटा दिया गया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है, इसलिए इस स्तर पर आशंकाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालाँकि, यह मुद्दा कि क्या मामले की सुनवाई स्थानांतरित की जानी है, एक ऐसा मामला है जिस पर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है। [अनुच्छेद 15]

5. पीड़ित के साथ परिवार के सदस्यों के नाम और संबंधों को जनहित याचिका (ग) संख्या 16150/2020 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.10.2020 के आदेश के सामने दर्शाया गया है। चूंकि इस तरह के प्रकटीकरण से बचने के लिए यह कानून की आवश्यकता है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह इसे हटा दे और डिजिटल रिकॉर्ड में भी इसे मॉर्फ कर दे और भविष्य में ऐसी सामग्री के संकेत से बचे। [अनुच्छेद 16]

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 296/2020।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

साथ

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 304, 308, 314 और 316/2020।

तुषार मेहता, एसजी, के.एम. नटराज, एएसजी, हरीश साल्वे, सुश्री इंदिरा जयसिंह, सिद्धार्थ लूथरा, कॉलिन गोंसाल्वेस, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव, अभय सिंह यादव, संजीव मल्होत्रा, स्मर्हर सिंह, राजेश कुमार, गोपी रमन, मोहम्मद शाहिद अनवर, फ़िरोज़ ए शेख, हरीश अहमद मिन्हाज, वरिंदर कुमार शर्मा, शांतनु शर्मा, एस.बी. तालेकर, कार्तिक जयशंकर, सुश्री प्रदन्या तालेकर, सुश्री माधवी अय्यप्पन, विपिन नायर, रजत नायर, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री कीर्ति सिंह, सुश्री नंदिता राव, सुश्री मनाली सिंघल, सुश्री इति पांडे, सुश्री स्वाति सिंह मलिक, सुश्री एकता कपिल, सुश्री पूजा सहगल, सुश्री संजोली मेहरोत्रा, सुश्री कविता वाडिया, सुश्री अंशिका सूद, सुश्री ज्योति बब्बर, सुश्री अंजलि शर्मा, सुश्री श्रेया अग्रवाल, सुश्री अनसूया चौधरी, सुश्री कृतिका गुप्ता, सुश्री मेघा कठेरिया, सुश्री अतिश्री सूद, सुश्री सौम्या टंडन, सुश्री गीतिका पंवार, सुश्री अनुभा रस्तोगी, सौरभ कृपाल, अक्षय मखीजा, गौरव सरीन, विनीत झांजी, सुश्री सोनिया माथुर, सुश्री रुकसाना चौधरी, सुश्री अरुंधति काटजू, सुश्री पूर्णिमा मलिक, सुश्री डेज़ी हन्ना, एस.सागर, साहिल मोदी, विवेक सूरी, सुश्री सोनम गुप्ता, सुश्री सिल्की वाधवा, राहुल चौहान, सुश्री गुनिन्दर कौर गिल, मनु यादव, सुश्री अपूर्वा पांडे, सुश्री सोनम आनंद, संजीव महाजन, सुश्री पूजा धर, इरम माजिद, सुश्री अदिति गुप्ता, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री कृति कक्कड़, सुश्री मालविका राजकोटिया, सुश्री ज़ेबा खैर, सुश्री संगीता भारती, आर. आर. डेविड, वारिशा फरासात, सुश्री

श्वेता कपूर, सुश्री काजल चंद्रा, सुश्री शालिनी सती प्रसाद, सुश्री तन्वी अस्थाना, सूर्या राजप्पन, सुश्री निधि मोहन पाराशर, सुश्री मनाली सिंघल, सुश्री प्राची दत्ता, तरन्नुम चीमा, दर्पण वाधवा, आशीष ढोलकिया, अभिमन्यु महाजन, प्रोसेनजीत बनर्जी, ताहिरा करंजावाला, सुश्री मेनका गुरुस्वामी, मरियम फ़ोज़िया रहमान, सुश्री अमिता सिंह कलकल, रोहित कौल, सुश्री नंदिता चौहान, शशांक अग्रवाल, अभिमांशु ध्यानी, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री निहारिका करंजावाला, सत्यम चतुर्वेदी, सुश्री रितु राज श्रीवास्तव, वीरेंद्र पाल सिंह संधू, जतिन मोंगिया, कश्यप गुड्डी पट्टी, सुश्री बीना पांडे, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, शादाब हुसैन खान, सुश्री रितु भल्ला, फिरदौस मूसा, शाहरुख आलम, मृणालिनी सेन, झुम झुम सरकार, अमिता गुप्ता, आतिरा पिल्लई, सताक्षी सूद, सुश्री नाओमी चंद्रा, सुश्री दीपिका पोखरिया, सुश्री किरण कालरा, सुश्री प्राची वी. शर्मा, सुश्री नेहा धीर, सुश्री नेहा पांडे, सुश्री सुरुचि सूरी, अनुपम सांघी, सुश्री रिया भल्ला, सुश्री महज़बीन, सात्विक वर्मा, सुश्री इला कपूर, सुश्री चारुल सरीन, विराज दातार, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री श्रेया सिंघल, फ़ोज़िया अहमद, सुश्री रुचि सिंह, सुश्री सुरभि अग्रवाल, अशनीत सिंह, करण सेठ, वरुण कुमार, सुश्री अपराजिता बुधवार, सुश्री रक्षिता काचरू, सुश्री बोनिता सिंह, योगेन्द्र मिश्रा, मृदुल यादव, रजत सोनी, सुश्री रुचि अग्निहोत्री, सुश्री मेघना मिश्रा, सुश्री गुरकीरत कौर, सुश्री सीमा कुशवाह, इशित सहरिया, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री करीम्हामा मारिया, सुधीर मेंदीरत्ता, निशित अग्रवाल, शीज़ान हाशमी, अनमोल खेता, हर्ष मिश्रा, गुंजन सिंह, सुश्री प्रज्ञा गंजू, सत्या मित्रा, सुश्री शोभा गुप्ता, सुश्री प्राची आप्टे, जे. साई दीपक, सुविदत्त एम. एस., श्रीमती अनु बी., विभोर अहलावत, अभिषेक अवदानी, अविनाश शर्मा, सुश्री शक्तिकी शर्मा, सुश्री वान्या अग्रवाल, योगेश कुमार, अभिजीत सिंह, जी अंकोलेकर, सुरेंद्र सिंह राण, मुकेश कुमार सिंह, इक्षित सिंघल, शांतनु जुगतावत, भानु प्रिया शर्मा, मै. मुकेश कुमार सिंह एंड कंपनी, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

निर्णय

1. याचिकाकर्ताओं और इन मामलों में हस्तक्षेप करने वाले सभी आवेदकों ने उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार, बेरहमी से हमला करने, जिसके कारण उसकी जान चली गई और जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसके बारे में चिंता जताई है। रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 296/2020 को प्रारंभ में इस न्यायालय द्वारा बोर्ड पर लिया गया था और प्रार्थियो को एक सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस का आदेश दिया गया था। इस बीच, शेष याचिकाएँ और आवेदन एक ही घटना के संबंध में विभिन्न राहतों की मांग के लिए दायर किए गए थे जो अंततः एक निष्पक्ष जांच और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हैं।

2. अन्य आवेदनों और रिट याचिकाओं का विवरण इस प्रकार हैः

याचिका/हस्तक्षेप आवेदन	आवेदक/याचिकाकर्ता	प्रार्थनाएँ

आपराधिक विविध याचिका संख्या 10597/2020	रामू उर्फ राम कुमार	हस्तक्षेप आवेदन में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच या विशेष जांच दल के गठन का आदेश देने के लिए न्यायालय की कृपा की मांग की गई है। इसके अलावा, मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई है।
अंतरवर्ती आवेदन संख्या 101799/2020	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (गैर सरकारी संगठन।) अपनी महासचिव सुश्री कुलजीत कौर के माध्यम से	याचिकाकर्ताओं की सूची में आवश्यक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना।
आपराधिक विविध याचिका संख्या 102148/2020	सचिव के माध्यम से न्याय और शांति के लिए नागरिक	इसके लिए हस्तक्षेप और दिशानिर्देश की मांग: 1.जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच को ट्रांसफर करना। 2.केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा गवाहों की सुरक्षा। 3. उन परिस्थितियों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, जिनके कारण पीड़िता का दाह संस्कार करना पड़ा।
आपराधिक विविध याचिका संख्या 105463/2020	राधिका वेमुला और अन्य।	निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के लिए प्रार्थना: 1. सामूहिक बलात्कार और मौत के सभी जुड़े मामलों को यूपी से दिल्ली विशेष अदालत को स्थानांतरित करना। 2. राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सामूहिक बलात्कार और मौत की त्रासदी की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन। 3. प्रत्यर्थीओं को पीड़ित परिवार पर पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को-विश्लेषण या ब्रेन मैपिंग करने से रोकना। 4. पीड़ित परिवार और अन्य गवाहों को सुरक्षा। 5. निर्देशन प्रत्यर्थी को सख्ती से लागू करें अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

		1989।
अंतरवर्ती आवेदन संख्या 103488/2020	दिल्ली के सदस्यों द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन	इसके लिए आदेश मांगा जा रहा है: 1. सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच के लिए न्यायालय की अपनी निगरानी में विशेष जांच दल का गठन। 2. गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना। 3. यूपी से मुकदमे का स्थानांतरण. पीड़ित परिवार की सहमति के अधीन दिल्ली में एससी/एसटी विशेष न्यायालय में।
अंतरवर्ती आवेदन संख्या 106081/2020	सतेंद्र कुमार	रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 296/2020 में प्रत्यर्थी के रूप में अभियोग का अनुरोध करने वाला आवेदन या उक्त मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगने वाले वैकल्पिक में।
डायरी संख्या 55441/2020, आदि।	नागरिकों द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र याचिकाएं	सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय से उचित दिशा-निर्देश मांगे जा रहे हैं।
डी.नं. 54893/2020, वगैरह।	ई-मेल/डाक के माध्यम से प्राप्त पत्र याचिकाएं	सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय से उचित दिशा-निर्देश मांगे जा रहे हैं।
अंतरवर्ती आवेदन संख्या 105728/2020	आवेदक/शोभा गुप्ता	हस्तक्षेप आवेदन मामले के चरम पर होने के कारण उचित प्रस्तुतियाँ और सुझाव देने के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति चाहता है महत्व है।
आपराधिक विविध याचिका संख्या 105362/2020	आवेदक/राष्ट्रीयदलित बचाओ आंदोलन, इसके अध्यक्ष ओपी शुक्ला और अन्य के माध्यम से	• कार्यान्वयन के लिए आवेदन क्योंकि वह स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है और आर को निर्देश देता है कि अपराध के सभी पीड़ितों का गरिमापूर्ण दाह संस्कार सुनिश्चित किया जाए और एससी, एसटी, ओबीसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाए। • परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार और अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश की निगरानी इस

		माननीय न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
आपराधिक विविध याचिका संख्या 105452/2020	आवेदक/मुन्नोका समुदय संरक्षण मुनि अपने अध्यक्ष के माध्यम से	आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच और मामले में प्रशासन की कथित खामियों की जांच के लिए हस्तक्षेप के लिए आवेदन।
रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 304/2020 चन्द्रभान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	याचिकाकर्ता/चंद्रभान सिंह सम्बंधित: याचिकाकर्ता/ सुषमा मोतीलाल मौर्य	प्रार्थना:- 1.पीड़िता के शरीर के साथ दुर्व्यवहार के लिए प्रत्यर्थी 3 - प्रत्यर्थी 7 की भूमिका की जांच के लिए परमादेश। 2. जांच एजेंसी को पीड़िता की मां, पिता और भाई का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने और परिवार द्वारा लगाए गए आरोप सही होने पर दोषियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश। संबंधित: संज्ञान लेने का निर्देश, उच्च न्यायालय की निगरानी का गठन, जांच, पूछताछ और दोषी पुलिस का निलंबन, सबूतों में हेराफेरी करने की कोशिश करने वाले मेडिकल आदि, पीड़ित के दाह संस्कार के लिए जिम्मेदार पुलिस के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।
रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 314/2020 अपने प्रकाशक बनाम भारत संघ और अन्य के माध्यम से सार्वजनिक मेल	याचिकाकर्ता / सार्वजनिक मेल अपने प्रकाशक के माध्यम से	निर्देशों का पालन करने हेतु प्रार्थना : 1. आधी रात में लड़की को जलाने वाले पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और उन्हें दंडित करने के लिए आर को परमादेश।

		2. केस को हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर करें। 3. प्रत्यर्थी को भविष्य में ऐसे बलात्कार के लिए विशेष मंच बनाने या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश।
रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 316/2020 चेतन जनार्दन कांबले बनाम भारत सरकार और अन्य	याचिकाकर्ता/चेतन जनार्दन कांबले	निर्देश के लिए याचिकाः 1. सबूतों को नष्ट करने में शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166-ए,193,201,202,203,212,217,153 ए और 339 और एससी और एसटी अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) और 4 के तहत अपराध दर्ज करें।
आपराधिक विविध याचिका संख्या 10597/2020	रामू उर्फ राम कुमार	सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन मामले की जाँच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो जाँच या विशेष जांच दल के गठन का आदेश देने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाला हस्तक्षेप आवेदन। इसके अलावा, मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की प्रार्थना की जाती है।

3. अनावश्यक विवरणों के संक्षिप्त विवरण के लिए और मांगी गई राहत की प्रकृति को नोट करने के लिए, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 296/2020 में याचिका का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में याचिकाकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत सरकार और संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया जाए; यदि आवश्यकता पड़ी तो मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में केंद्रीय जांच ब्यूरो) को स्थानांतरित कर दिया जाए या मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए। यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस मामले को देखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने आगे अनुरोध किया है कि मामले को हाथरस, उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए।

4. मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया था। जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई, उसका उल्लेख याचिका में किया गया है। हालांकि उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली और आधी रात को उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति के बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस तरह से पूरी घटना हुई थी, उस पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक निष्पक्ष जांच तभी संभव होगी जब मामला एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए।

5. अन्य रिट याचिकाओं और हस्तक्षेप आवेदनों में अभिवचन एक ही घटना से संबंधित हैं, हालांकि अलग-अलग राहत मांगी गई हैं, जो किसी भी स्थिति में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और कानून के अनुसार दोषी को दंडित करने के लिए है।

6. प्रारंभ में, जब इस न्यायालय द्वारा 16.10.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विचार किया गया था, तो श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया था कि तत्काल याचिका को प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं माना जाएगा और उत्तरदाताओं को भी दिलचस्पी है कि एक निष्पक्ष जांच की जाए और अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए। उस स्तर पर, यह देखा गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने घटना का संज्ञान लेते हुए दिनांक 01.10.2020 को एक विस्तृत आदेश पारित किया था और जनहित याचिका (ग) संख्या 16150/2020 होने के कारण स्वतः संज्ञान याचिका के पंजीकरण का आदेश दिया था। उस परिस्थिति में इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया विचार था कि इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं पर इस स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय ने मामला अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि, मध्यस्थ अधिवक्ताओं की ओर से हस्तक्षेप करते हुए वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंह ने पीड़ित के परिवार के सदस्यों और गवाहों को प्रदान की जा रही पर्याप्त सुरक्षा के संबंध में चिंता जताई थी। यह पाए जाने पर कि इस तरह की चिंता को दूर करने की आवश्यकता है, विद्वान सॉलिसिटर जनरल से इन पहलुओं पर निर्देश प्राप्त करने और एक उपयुक्त हलफनामा दायर करने का अनुरोध किया गया था।

7. इसके अनुसरण में, विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 14.10.2020 को शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण इंगित किया गया है। उस संबंध में यह कहा गया है कि पीड़िता के माता-पिता, दो भाई, एक भाभी और दादी, जो गांव चंदपा, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, को तीन गुना सुरक्षा तंत्र के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है (क))सशस्त्र कांस्टेबुलरी घटक (ख) सिविल पुलिस घटक और (ग) सीसीटीवी कैमरे/लाइट की स्थापना। हलफनामे में प्रत्येक घटक का विवरण भी दिया गया है और आगे कहा गया है कि चंदपा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक (प्रभारी) को इसके लिए उपयुक्त पुलिस बल तैनात करने के लिए उपरोक्त पूरी व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। सदाबाद के सर्कल अधिकारी को पुलिस बल को नियमित रूप से स्पष्ट जानकारी देकर और परिवार के सदस्यों को प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सूचित करके मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि उन्होंने परिवार की ओर से सुश्री सीमा कुशवाहा और श्री राज रतन को अपने निजी वकीलों के रूप में नियुक्त किया है।

8. हलफनामे में यह भी संकेत दिया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच समयबद्ध तरीके से अदालत की देखरेख में की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक ने भी एक हलफनामा दायर किया है जिसमें संकेत दिया गया है कि राज्य सरकार ने स्वयं अदालत की देखरेख में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने की मांग की है और 10.10.2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और 11.10.2020 को अपराध के संबंध में जांच शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2020 और 12.10.2020 को पारित आदेश और यह तथ्य कि उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच प्रगति पर थी, उसमें कहा गया है।

.

9. श्री तुषार मेहता को सुनने के अलावा, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री हरीश साल्वे, डी. जी. पी. की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील और श्रीमती. पीड़ित के परिवार के सदस्यों की ओर से सीमा कुशवाहा और श्रीमती इंदिरा जयसिंह के नेतृत्व में अन्य विद्वान वकील, श्री कॉलिन गोंजाल्विस, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने विभिन्न रिट याचिकाओं और आवेदनों में पीड़ित परिवार की ओर से चिंता जताई, हमने श्री

सिद्धार्थ लूथरा द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यान दिया है, विद्वान वरिष्ठ वकील जिन्होंने आरोपी की ओर से यह तर्क देने के लिए उपस्थित होना चाहा कि आरोपी को उपलब्ध कानूनी अधिकार को प्रक्रिया में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

10. हालांकि विभिन्न तर्कों का आग्रह किया गया था, निर्विवाद तथ्य यह है कि वास्तव में राज्य सरकार द्वारा 10.10.2020 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपी गई है और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 11.10.2020 को अपराध के संबंध में जांच शुरू कर दी है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं कि यदि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसा किया तो कोई उचित जांच नहीं होगी, इस स्तर पर विचार के लिए खुली नहीं रहेगी और उस हद तक की शिकायत का निवारण किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी और प्रत्यर्थी - राज्य ने भी अपने हलफनामे के माध्यम से संकेत दिया था कि यह न्यायालय उसी की निगरानी कर सकता है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, एक जनहित याचिका (ग) संख्या 16150/2020 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में दर्ज की गई है, इसके आदेश दिनांक 01.10.2020 के अनुसार। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले से संबंधित पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार किया है और पीड़ित के पिता, माता, भाई और साली की उपस्थिति भी सुनिश्चित की है और विभिन्न पक्षों से रिपोर्ट प्राप्त करने सहित उचित आदेश पारित किए जा रहे हैं। उस परिस्थिति में, हम उच्च न्यायालय को कार्यवाही से अलग करने और कार्यवाही/जांच की निगरानी के लिए इस न्यायालय को लेने की आवश्यकता नहीं पाते हैं। इसके अलावा, घटना उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर हुई है और सभी विवरण उपलब्ध होने के कारण, उच्च न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह जिस तरह से चाहे, जांच की निगरानी के लिए आगे बढ़े। उस दृष्टिकोण से, यहां रिट याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के लिए यह खुला होगा कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करें, बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के अनुरोध पर विचार किया जाए और यदि वह इस संबंध में याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा आग्रह की जाने वाली दलीलों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पाता है।

11. जहाँ तक पीड़ित के परिवार और गवाहों को सुरक्षा का सवाल है, सीमित उद्देश्य जिसके लिए इस अदालत ने नोटिस का निर्देश दिया था और एक हलफनामा मांगा था; जैसा कि दायर किया गया हलफनामा निस्संदेह इंगित करता है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंह ने हालांकि यह तर्क दिया कि राज्य पुलिस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुरक्षा उचित नहीं होगी और इस तरह सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा प्रदान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए (सीआरपीएफ). उसके द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए और निगरानी की जाए।

12. दलीलों पर ध्यान देने और राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद हम आश्वस्त हैं कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि, वर्तमान प्रकृति के मामले में सामान्य धारणा और निराशावाद को संबोधित करना आवश्यक है जिसे बिना औचित्य के नहीं कहा जा सकता है। इस दृष्टि से, राज्य पुलिस के सुरक्षाकर्मियों पर कोई आक्षेप लगाए बिना; सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए और केवल विश्वास निर्माण के उपाय के रूप में, हमें यह निर्देश देना उचित लगता है कि पीड़ित के परिवार और गवाहों को सुरक्षा सीआरपीएफ द्वारा आज से एक सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी।

13. जांच से संबंधित पहलू पर, चूंकि हमने संकेत दिया है कि उच्च न्यायालय मामले के उस पहलू को देखेगा, इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो उच्च न्यायालय को उस तरीके से रिपोर्ट करेगी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा

समय-समय पर अपने आदेशों के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वकील सुश्री इंदिरा जयसिंह के अनुरोध पर हम किसी विशिष्ट आदेश को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के आलोक में विचार किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने सुश्री सीमा कुशवाहा और श्री राज रतन, अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का विकल्प चुना है, वे इन पहलुओं पर विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार पीड़ित की ओर से अनुरोध करेंगे।

14. इसलिए, प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मामले के सभी पहलुओं को उस घटना से संबंधित जनहित याचिका (जी) संख्या 16150/2020 में उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जिसके बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी है और अवैध दाह संस्कार का आरोप लगाने वाली शिकायत के संबंध में भी। पीड़ित के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के संबंध में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 296/2020 में प्रत्यर्थी संख्या 2 (मुख्य सचिव, उतार प्रदेश राज्य) इस आदेश को सीआरपीएफ के सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाएगा पीड़ित के परिवार और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध के साथ और सीआरपीएफ उसी को प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा और उच्च न्यायालय को उसी की रिपोर्ट करेगा।

15. जहां तक याचिकाकर्ताओं/आवेदकों द्वारा मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग का सवाल है, पीड़ित परिवार की वकील सुश्री सीमा कुशवाहा ने संकेत दिया कि जांच पूरी होने के बाद स्थानांतरण की आवश्यकता होगी। इस पहलू पर हमारा यह भी विचार है कि जांच एजेंसी के लिए जांच पूरी करना उचित होगा और किसी भी स्थिति में चूंकि स्थानीय पुलिस को जांच से हटा दिया गया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है, इसलिए इस स्तर पर आशंकाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। हालाँकि, यह मुद्दा कि क्या मामले की सुनवाई स्थानांतरित की जानी है, एक ऐसा मामला है जिस पर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है।

16. अलग होने से पहले, हम जनहित याचिका (ग) संख्या 16150/2020 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 12.10.2020 के आदेश के सामने पीड़ित के साथ परिवार के सदस्यों के नाम और संबंधों के बारे में विद्वान सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देते हैं। चूंकि इस तरह के प्रकटीकरण से बचने के लिए यह कानून की आवश्यकता है, इसलिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह इसे हटा दे और डिजिटल रिकॉर्ड में भी इसे मॉर्फ कर दे और भविष्य में ऐसी सामग्री के संकेत से बचे।

17. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में, रिट याचिकाओं और आवेदनों का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिकाओं एवं आवेदनों का निस्तारण किया गया।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।